जाली करेंसी-नोटों का प्रसार

*2855. श्रीमती तारा चरण मजुमदार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से असम में 100 रूपये और 500 रूपये मूल्य के जाली करेंसी नोट काफी संख्या में प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) जी नहीं। इस बारे में अभी तक सरकार के ध्यान में कोई विशेष बात नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**Statement Made by Home Minister**

2856. SHRI G.G. SWELL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he made a public statement that the USA was behind the stand-off between the security forces and the militants holed up within the Hazratbal Shrine in Srinagar;

(b) the circumstances leading to the statement;

(c) whether his statement has been repudiated by the Ministry of External Affairs; and

(d) whether the Home Minister stands by his statement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The Union Home Minister did not make any such public statement.

(b) to (d). Does not arise in view of (a) above.

*पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1458, 14 दिसम्बर, 1993 से स्थानान्तरित

**Discussion with Militants on Kashmir**

2857. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) if negotiations could be held with alleged militants of different outfits at Hazratbal Shrine, why there could be not general discussion with them in order to find a way out of the complexities of the Kashmir situation; and

(b) whether Government have any scheme in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b). Negotiations with the militants holed up inside the Hazrat Bal Shrine were aimed to persuade them to release the innocent pilgrims held hostage inside, and to surrender themselves and vacate the Shrine peacefully. As for discussions regarding the Kashmir situation, the Government is ready to talk to anyone who is genuinely interested in moving forward towards ending violence and the restoration of normalcy and the democratic institutions in the State & efforts are being made in this direction.

देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक

2858. श्रीमती अजीत जोगी:
चौधरी हरि सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी, विशेषकर पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार और राष्ट्रीयतावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) किन-किन राज्यों में घुसपैठ की सर्वाधिक संभावनाएं हैं; और

(ङ) ऐसे राज्यों को क्या विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)**: (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। सरकार को कुछ विदेशी राष्ट्रिकों विशेषकर पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के अवैध रूप से ठहरने की समस्या के बारे में जानकारी है। वर्ष 1993 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार 10705 पाकिस्तानी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। उनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ को रोकने और उनका पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापिस भेजने के लिए विभिन्न उपाय किए गए/किए जा रहे हैं। इन उपायों में, सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त को गहन करना, सीमा पर सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, विदेशियों (पी०आई०एफ०) की घुसपैठ की रोकथाम और सचल कार्य बल (एम०टी०एफ०) योजनाओं को अधिक सुदृढ़ करना, सीमावर्ती जिलों के भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करना और वीज़ा नियंत्रण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करना शामिल है।

(घ) विशेष रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील हैं।

(ङ) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापिस भेजने के प्रयासों को तेज करने और स्थानीय जनता को समस्या की विकरालता और गंभीरता के प्रति सुग्राही बनाने के लिए भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निदेश जारी कर दिए गए हैं।

## विवरण

**भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में वर्ष 1993 का राज्यवार ब्यौरा:**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 87 |
| 2. | बिहार | 102 |
| 3. | दिल्ली | 385 |
| 4. | गुजरात | 1071 |
| 5. | हरियाणा | 104 |
| 6. | कर्नाटक | 103 |
| 7. | केरल | 440 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 1335 |
| 9. | महाराष्ट्र | 2444 |
| 10. | उड़ीसा | 41 |
| 11. | पंजाब | 104 |
| 12. | राजस्थान | 2611 |
| 13. | तमिलनाडु | 96 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 1065 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 92 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 625 |
| | **योग:** | **10,705** |

**Functioning of National Foundation for Communal Harmony**

2859. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEEM AFZAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Foundation for communal Harmony has started functioning; and

(b) if so, what are the details of beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) Yes sir.

(b) The Foundation has so far assisted 678 children in different states i.e. Andhra Pradesh 36, Bihar 41, Gujarat 164, Karnataka 21, Uttar Pradesh 71, Maharashtra 201, Madhya Pradesh 128 and Delhi 16.

**Action taken on False Complaints Registered by Women Against their Husbands**

2860. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1202 given in the Rajya Sabha on 4th August, 1993 and state:

(a) what are the reasons for not taking any action against the false complaints registered by women against their husbands/in-laws in the women cells;